भीम कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द (राज.)
Email: np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph. 02953-233526
क्रमांक : न.पा.नाथ./म0बै0/22/17371 दिनांक : 09.11.2022

–:बैठक कार्यवाही विवरण:–

नगरपालिका मण्डल नाथद्वारा की अतिआवश्यक बैठक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 एवं स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास व आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर (राज.) की अधिसूचना कमांक 0916493 दिनांक 11.11.2009 के नियम–04 की उप धारा–02 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2022 को पालिका सभागार में माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक नाथद्वारा डॉ. सी.पी. जोशी के मुख्य आतिथ्य एवं अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा श्री मनीष राठी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित रहें :–

1. डॉ. सी.पी. जोशी सा0	विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक नाथद्वारा।
2. श्री मनीष राठी	अध्यक्ष, नगरपालिका नाथद्वारा।
3. श्री श्यामलाल गुर्जर	उपाध्यक्ष, नगरपालिका नाथद्वारा।
4. श्री चुन्नीलाल माली	सदस्य।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह दसाणा	सदस्य।
6. श्री आशिष सैनी	सदस्य।
7. श्रीमती मनोनमा डाबी	सदस्या।
8. श्रीमती यमुना पालीवाल	सदस्या।
9. श्री विनोद उपाध्याय	सदस्य।
10. श्रीमती वंदना पालीवाल	सदस्या।
11. श्री प्रमोद गुर्जर	सदस्य।
12. श्री नटवरलाल मीणा	सदस्य।
13. श्री सुरेश छापरवाल	सदस्य।
14. श्री परेश सोनी	सदस्य।
15. श्री विशवास प्रजापत	सदस्य।
16. श्री कैलाश तंवर	सदस्य।
17. श्री रमेश राठौड	सदस्य।
18. श्री दिनेश एम. जोशी	सदस्य।
19. श्री गोपेश बागोरा	सदस्य।
20. श्री मोहम्मद शफी	सदस्य।
21. श्री प्रदीप काबरा	सदस्य।
22. श्री रोहित कुमावत	सदस्य।
23. श्री कमलेश कुमावत	सदस्य।
24. श्रीमती ललिता काबरा	सदस्या।
25. श्रीमती उजवल लावटी	सदस्या।
26. श्री ईश्वर लाल मीणा	सदस्य।
27. श्री शितल पालीवाल	सदस्य।

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

29. श्रीमती चन्द्रकला माली — सदस्या।
30. श्रीमती कंचन जोशी — सदस्या।
31. श्री किशन लाल मीणा — सदस्य।

कौरम पूरा होने पर पालिका आयुक्त श्री कौशल कुमार खटूमरा द्वारा समस्त सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए पालिका अध्यक्ष महोदय से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्वीकृति चाही। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय की सहमति के पश्चात् पालिका पत्रांक 16995 दिनांक 28.10.2022 से जारी एजेण्डानुसार कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्देश दिये।

1. **वणिज्यिक कॉरीडोर बागोल धारचा बाईपास क्षेत्र हेतु प्रस्तावित विशेष भवन निर्माण उपनियामों के ड्राफ्ट पर चर्चा** :– पालिका आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा धारचा बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया हैं जिससे उक्त मार्ग की चौड़ाई के अनुरूप सड़क के दोनों ओर निर्धारित गहराई पर स्थित वाणिज्यिक कॉरीडोर जिस नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना कमांक प.10 8 नविवि/3/97 जयपुर दिनांक 13.01.22 अनुसार एंव राजपत्र प्रकाशन तिथि जुलाई 29, 2021 अनुसार उक्त बाईपास के वाणिज्यिक कॉरीडोर हेतु आवश्यक संशोधन/प्रावधान किया जा चुका है। चूकि उस क्षेत्र के विकास को समावेशी एंव भविष्य में होने वाले वाणिज्यिक निर्माणों को एकरूपता प्रदान करना अतिआवश्यक होने से उक्त अधिसूचना अनुसार निर्धारित गहराई तक के निर्माणो हेतु पालिका द्वारा इसी बैठक में विचारार्थ एंव प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र नाथद्वारा हेतु विशेष भवन निर्माण उपनियमों में विशेष प्रावधान प्रस्तावित किये जाकर उसका अुनमोदन कर राज्य सरकार को वास्ते अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना है। जिस पर सदन में बाद विचार विमर्श के क्रम में चर्चा आरम्भ करते हुए सदस्या श्रीमती कंचन जोशी द्वारा जानना चाहा कि पालिका द्वारा उक्त सड़क के दोनों ओर कितनी दुरी (गहराई) तक वाणिज्यिक निर्माण अनुज्ञेय होंगे तथा कोन–कोन सी भूमियाँ उक्त से प्रभावित होगी तथा इसके साथ 500 मीटर दूरी तक की भूमि को शामिल करने की मांग की। पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर पालिका आयुक्त द्वारा सदस्य को बाताया गया कि पालिका द्वारा उक्त नवनिर्मित बाईपास के सड़क के दोनों ओर 20मीटर की गहराई तक वाणिज्यिक कॉरीडोर बनाया जाना प्रस्तावित हैं तथापि सदस्यों द्वारा यदि उक्त सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तों पालिका द्वारा उक्त प्रस्तावों को उक्त प्रस्तावित ड्राफ्ट में समाविष्ठ कर आपत्ती अमंत्रित करते हुए वांछित स्वीकृति व अनुमोदन पश्चात् उक्त ड्राफ्ट को जारी किया जावेगा। सदस्य श्री प्रदीप काबरा द्वारा एजेण्डें की प्रति विलम्ब से मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए कहा की सदस्यों को पुर्व में भी मण्डल बैठक सम्बन्धित एजेण्डा समय पर नहीं मिला जिससे पुव में भी सदस्य एजेण्डें के सम्बन्ध में चर्चा की तैयारी नहीं कर पाये, जिस पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पालिका आयुक्त को आगामी बैठकों से पूर्व समदस्यो को नियत समय में एजेण्डा प्रति तथा एजेण्डें में शामिल विषयों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतियाँ सदस्यों को उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उपस्थित सदस्यों को कहा कि एजेण्डे में नगर के हित के काफी प्रस्ताव नजर आ रहे हैं। अतः उनका मत हैं कि सभी सदस्य एक बार उक्त प्रस्तावों को सुन ले तत्पश्चात् उक्त एजेण्डे में शामिल प्रस्तावों के संबंध में अपने सुझाव एवं मत प्रस्तुत करें। जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी। तत्पश्चात् पालिका अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को आगामी समय में बैठक आहुत होने पर नियत समय में एजेण्डा उपलब्ध कराने हेतु आश्वस्त करते हुए पालिका आयुक्त को एजेण्डे के आगामी बिन्दुओं को सदस्यों के समक्ष रखने हेतु निर्देश दिये। बाद विचार सदन द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण उपनियमों में समाहित कर विशेष अध्याय/विशेष प्रावधानो को प्रस्ताव अनुसार तैयार कर आवश्यक प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् उक्त योजना के ड्राफ्ट की सक्षम स्वीकृति प्राप्त हेतु राज्य सरकार को बैठक के एजेण्डा संख्या 10 अुनसार प्रेषित करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी।

C:\Users\LENOVO\Desktop\board meeting proceeding 04 Nov 2022.docx

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

2. **नगरपालिका नाथद्वारा मास्टर प्लान–2031 में संशोधन हेतु प्रस्तावित नवीन वाणिज्यिक कॉरीडोर भू–उपयोग के 120 फीट रोड दाएँ एवं बाएँ ओर के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर चर्चा** :–पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि त्रिनेत्र सर्कल से कृष्णा सर्किल तक पूर्व में पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत् कार्य कराये गये। वर्तमान में पालिका द्वारा उक्त योजना के कार्यकारी एजेन्सी के रूप में कार्य कराया जा रहा हैं। उक्त सड़क पर विश्व की सबसे विशाल शिव मूर्ति की स्थापना हो चुकी हैं जिससे उक्त क्षेत्र के सड़क के दोनों ओर व्यापक वाणिज्यिक संभावनाएं हैं। पालिका द्वारा भी पूर्व में ही उक्त 120 फिट रोड पर वाणिज्यिक योजना के तहत् भूखण्डों की निलामी की जा रही हैं। साथ ही त्रिनेत्र सर्किल के पास पालिका द्वारा फुडकोर्ट का निर्माण भी किया गया हैं। अतः श्रीमान् विधानसभा अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा ने सदन को उक्त बिन्दु पर जानकारी दी कि यदि उक्त सड़क के आस–पास की भूमि को वाणिज्यिक कोरीडोर के रूप में बागोल धारचा बाईपास की उदाहरण अनुसार वाणिज्यिकि कॉरीडोर के रूप में प्रस्तावित किया जाता हैं तो नगर में पर्यटन तथा आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी रोजगार की सभावनाओं में वृद्वि होने के साथ ही नाथद्वारा नगर में नई पर्यटन व वाणिज्यिक परिदृश्य का विकास होगा जिससे अधिक से अधिक निवेश आकर्षित होने से यहा के युवा वर्ग तथा निवासियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होने के साथ बेहतर विकास की संभावनाओं को बल मिलेगा यही नहीं नगर पालिका नाथद्वारा को अधिक राजस्व प्राप्ति के अवसर प्राप्त होगे जिससे पालिका यहा के नागरिकों को उच्च स्तरीय आधारभूत सुविधाओं प्रदान कर सकेगी। जिसे अध्यक्ष महोदय ने आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को इस सर्न्दभ में प्रस्तावित बिन्दु के संबंध में प्रकिया एंव नियमो से सदन को अवगत करने के निर्देश होने पर श्रीमान् आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा ने सदन को प्रस्तावित किया कि उक्तानुसार उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु त्रिनेत्र सर्कित नाथद्वारा से कृष्णा सर्किल तक 120 फीट सडंक पर सडंक मार्गधिकार के बाद दोनो ओर 20 मीटर की गहराई तक वाणिज्यिक कोरिडोर हेतु आवश्यक संशोधन/प्रावधान नाथद्वारा मास्टर प्लान–2031 में उक्त प्रस्तावित भू उपयोग को दर्शाते हुये मास्टर प्लान पार्ट प्लान नगर पालिका नाथद्वारा में पूर्व में राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम, 1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35, संवत 1959 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र में नाथद्वारा सहित कुल 17 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर अधिसूचना कमांक प.10,8नविवि/3/97/दिनांक 13.07.2011 को जारी कर अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 5–1 के अन्तर्गत नाथद्वारा प्रारूप मास्टर प्लान–2031 पर जनता से आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु पूर्व में एक अधिसूचना दिनांक 28.03.2012 को जारी कर इसे प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना में नाथद्वारा का मास्टर प्लान–2031 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर इसे 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसमें अब उक्त प्रस्ताव एंव सदन की आज्ञा अनुसार प्रस्तावित संशोधन/पार्ट प्लान अनुसार प्रस्तावित भू उपयोग को दर्शाते हुये मास्टर प्लान पार्ट प्लान को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 की धारा 5–1 एंव राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार सामान्य नियम 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित प्रावधानो का सक्षम स्तर पर परीक्षण कराते हुए नगर पालिका मण्डल नाथद्वारा के इस प्रस्ताव अुनसार प्रस्तावित संशोधनों को राज्य सरकार/स्वायत्त शासन विभाग/नगर नियोजक विभाग/नगरीय विकास विभाग को वास्ते अनुमोदनार्थ एंव संक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है जिससे नाथद्वारा मास्टर प्लान 2031 के भू उपयोग योजना मानचित्र के पार्ट प्लान में प्रस्तावित संशोधन किया जा सके एंव अधिसूचित कर लागू किया जा सके। विस्तृत गहन विचार विमर्श बाद विचार बाद सदन एंव उपस्थित सदस्यों द्वारा मास्टर प्लान–2031 में आवश्यक संशोधन/प्रावधानो हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही एंव प्रकिया हेतु श्रीमान् आयुक्त नाथद्वारा को अधिकृत

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

किया जाकर उक्त प्रस्ताव को अतिशीध्र सक्षम स्वीकृति प्राप्त हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

3. <u>नाथूवास एवं कोठारिया बाईपास के निर्माण हेतु योजना के वित पोषण हेतु हडको से दीर्धवधि ऋण प्रस्ताव अनुमोदन</u> :– श्रीमन् अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि नगरपालिका द्वारा पूर्व में धारचा बाईपास का निर्माण पूर्ण कर लिया हैं। नगर में यातायात की व्यवस्था एंव सुगम आवागमन एंव दुघटनाओ को नियत्रण करने एंव आमजन के जीवन को सुरक्षित करने तथा भविष्य में नाथद्वारा के विकास को सुनियोजित रूप से करने हेतु को सुगम करने हेतु पालिका द्वारा राष्टीय राजमार्ग 08 के लिंक अनुसार बस स्टैण्ड तथा मुख्य शहर तक एव सुगम तथा सुरक्षित जरिया प्रदान किये जाने पर पूर्व में चर्चा तथा प्रस्ताव यथाअनुरूप लिये जा चुके है तथा पूर्व में आर यू आई डी पी एडीबी से आवश्यक वित पोषण हेतु भी कार्यवाही की चा चुकी थी बाईपास निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं जो नाथूवास एवं कोठारिया बाईपास के निर्माण के नाम से जाने जायेंगे। उक्त कार्य आवश्यक वित्तिय प्रबंधन हेतु पालिका द्वारा दीर्घ अवधि ऋण लिया जाकर कार्य कराया जाना जिसके लिए उक्त प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। सदस्य श्री ईश्वर मीणा द्वारा कहा गया कि उक्त बाईपास निर्माण में वनविभाग की भूमि पर आ रही हैं जिस पर पालिका द्वारा कार्य कराया जा रहा हैं परन्तु उनके वार्ड में पूर्व में बसी वनविभाग की कॉलोनियों में पालिका द्वारा लम्बे समय से सडक व नाली निर्माण का कार्य नहीं कराया जा रहा हैं जिस पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिना वनविभाग की सहमति से कार्य कराया जाना संभव नहीं हैं। सदस्य श्री प्रदीप काबरा द्वारा उक्त संबंध में उक्त बाईपास निर्माण कहां से कहां तक होगा इसके संबंध में जानकारी चाही गयी जिस पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को बाईपास निर्माण की कार्यवाही से पूर्व सदस्यों को उक्त योजना के ड्राफ्ट से अवगत कराने हेतु पालिका आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि नाथद्वारा में विगत वर्षो में यातायात की व्यवस्था लगातार बिगड रही हैं आमजन को नाथद्वारा प्रवेश में समस्याओं का सामना करना पडता हैं। जिसके निदान हेतु उनके निर्देश पर पालिका अध्यक्ष एवं आयुक्त द्वारा पालिका क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था को सुगम एवं यातायात के भार को कम करने हेतु उक्त बाईपास निर्माण हेतु योजना तैयार की गयी है जिसका दीर्घगामी लाभ नगर के हित में होगा चूकि एडीबी बैक के उपलब्ध वितिय संसाधनों के अन्य योजनाओं में निवेश होने से तकनीकी रूप से उक्त योजना हेतु समयबद्व वित प्रदान करना संभव नहीं होने से नगरीय विकास में हडकों से उक्त प्रस्ताव को उनके प्राथमिक स्वीकृति पत्र .दिनांक...20.10.2022 के अनुसार अनुमोदन एंव स्वीकृति सदन में प्रस्तावित है। इसके बाद श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा के निर्देशअनुसार आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा ने सदन को उक्त प्रस्ताव में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रस्तावित किया कि उक्त प्राथमिक प्रस्ताव अनुसार हडकों के प्रस्ताव अनुसार नगर पालिका को उनके निर्धारित निम्न प्रारूप में सदन की स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान की जानी हे जो हडको कार्यालय जयपुर से यथाप्राप्त निम्नानुसार हैः–

After Considering the Proposal as stated in the agenda note, Nagar Palika Nathdwara passed the following resolutions:-

1) "RESOLVED THAT Nagar Palika Nathdwara shall borrow Loan assistance of Rs.37.60 Crore for the HUDCO's Financial assistance for Construction of Bye Pass Road from NH-08 to Kothariya Link Road (Package-I) and NH-08 to Nathuwas Link Road (Package-II) by Municipal Board-Nathdwara District- Rajsamand from Housing & Urban Development set out in their sanction letter dated 20.10.2022".
2) "RESOLVED THAT Nagar Palika-Nathdwara shall incur expenditure on the HUOCO's Financial assistance for Construction of Bye Pass Road from NH-8 to Kothariya Link Road (Package-1) and NH-8 to Nathuwas Link Road (Package-l) by Municipal Board Nathdwara District-Rajsamand in Nathdwara ((Scheme No.21497) to the extent of Rs.41.75 Crore the cost of the project. Out of the said Rs.41.75 Crore (project cost), Rs.37.50 Crore shall be

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

borrowed as loan from HUDCO and Nagar Palika-Nathdwara shall repay the principal, interest etc within the period prescribed by HUDCO The existing and proposed borrowing from HUDCO is and shall be within the borrowing limits of Nagar Pallika Nathdwara.

3) RESOLVED THAT the loan agreement and other documents received from HUDCO along with sanction letter dated 20.10.2022 be and are hereby accepted and Commissioner of Nagar Palika-Nathdwara is authorized to accept any modification(s) in these documents".

4) RESOLVED THAT Commissioner of Nagar Palika-Nathdwara and Chairman (v/;{k) Nagar Palika-Nathdwara are authorized jointly to execute the Loan Agreement and other documents, if any, with HUDCO and complete all the connected formalities including affixing of the Common Seal of Nagar Palika-Nathdwara on the documents to be executed with HUDCO".

उक्त प्रस्तावित प्रारूप एंव निर्धारित प्रक्रिया अुनसार योजना से प्राप्त लाभो एंव शहरी विकास के दृष्टिगत गहन विचार विमर्श सम्पूर्ण सदन एंव उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त त्रृण प्रस्ताव को 20.10.2022 के प्राथमिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तो अनुसार पूर्ण सहमति तथा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त कार्य हेतु निदेशालय से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार प्राप्त तकमीना अनुसार रााशि की प्रशासनिक वितिय स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही प्रभावित खातेदारो को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् प्राप्त प्रारूप एंव निष्पादित अनुबन्ध अनुसार नकद क्षतिपूर्ति एंव समायोजन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए स्थानीय उपापन समिति को अधिकृत करने का भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उक्त बिन्दुओ अुनसार समस्त आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा एंव श्रीमान आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा का अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया एंव प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने की सक्षम स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।

4. **<u>प्रस्तावित रिवर फन्ट योजना के वित पोषण हेतु हडको से दीर्घवधि ऋण प्रस्ताव अनुमोदन :–</u>**
पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान में राजस्थान के कोटा में चम्बल नदी पर रिवर फ्रन्ट योजना के तहत् कार्य हो रहा हैं जिसके तहत् नगर निगम व यूआईटी के द्वारा चम्बल नदी के आस–पास दोनों किनारों पर नदी जल संरक्षण के साथ–साथ चम्बल नदी के पास पर्यटन को बढावा देने हेतु विभिन्न सौन्दर्यकरण तथा जल संरक्षण संबंधी कार्य किया जा रहा हैं के तर्ज पर ही पालिका क्षेत्र में भी उक्त योजना के तहत् बनास नदी पर गणगौर घाट एवं रिवर फ्न्ट कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं जिसके लिए आवश्यक वित्त पोष हेतु पालिका द्वारा कार्य कराये जाने हेतु ऋण लिया जाना प्रस्तावित हैं। सदस्य श्री आशीष सैनी द्वारा रिवर फ्न्अ योजना के तहत् किये जाने वाले कार्य के संबंध में जानकारी चाही जिस पर पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि इमली चौक से तेलियों का तालाब वाले मार्ग पर बनास पुलिया के पास गणगौर घाट तथा श्मशान घाट के पास उक्त कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त संबंध में माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को बताया कि पालिका द्वारा प्रस्तावित कार्यो हेतु लगने वाली वित्तीय राषि अधिक होने से तथा वर्तमान में पालिका की आय–व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक रूप से ऋण लिया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। शीघ्र ही पालिका द्वारा आय व व्यय के प्रबंधन को बेहतर करते हुए कार्यहेतु लगने वाली वित्तीय राशि का स्वयं ही प्रबंधन कर लिया जायेगा। जिससे पालिका को अन्य कार्यो के लिए ऋण लिये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी परन्तु वैकल्पिक रूप से क्योंकि कार्य आवश्यक तथा नगर के पर्यटन तथा वैष्णवजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने से संबंधित हैं। अतः एकबारीय दीर्घ अवधि ऋण लिये जाने हेतु प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष चर्चा व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। बाद विचार सदस्यों द्वारा उक्त कार्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने की सक्षम स्वीकृति सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी।

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

5. **कृष्णा इन्टरप्रीटेशन सेन्टर के अंतर्गत आन्तरिक विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के निर्माण हेतु पालिका मद एवं स्वदेश दर्शन योजना नाथद्वारा इन्टरप्रीटेशन सेन्टर कार्य के स्वीकृत राशि अनुसार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त कार्य पूर्ण रूप से ई.पी.सी. मोड पर करने हेतु विचार–विमर्श** :– पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि नगरपालिका नाथद्वारा क्षेत्र में पूर्व में 120 फिट रोड गणेश टेकरी पर भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत् कृष्णा इन्टरप्रीटेशन सेन्टर का कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जा रहा था। उक्त कार्य की गति धीमी रहने से पूर्व में माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के प्रयासों के पश्चात् उक्त योजना के तहत् शेष रहे कार्यों के लिए नगरपालिका को कार्यकारी एजेन्सी बनाया जाकर उक्त योजना के अंतर्गत आन्तरिक विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के निर्माण हेतु कार्य कराया जा रहा हैं जिसके लिए स्वीकृत राशि के अनुसार सम्पूर्ण कार्य को ईपीसी मोड पर कराया जाना प्रस्तावित हैं जिसके लिए पालिका द्वारा कार्य योजना तैयार कर सदस्यों के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संबंध में पालिका अध्यक्ष एवं आयुक्त को पर्यटन विभाग से वार्ता कर उक्त कार्यो के लिये संचालन मोड पर आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त करते हुये चूकि उक्त इन्टरप्रीटेशन भवन का संचालन 10 वर्षो तक पर्यटन विभाग द्वारा ही किया जाना है अतः उक्त इन्टरप्रीटेशन सेन्टर के भवन निर्माण के बाद जारी प्रशासनिक एंव वित्तिय स्वीकृति के अन्तर्गत शेष राशि एंव आवश्यक राशि के सन्दर्भ पूर्ण सहमति के पश्चात् ही पालिका द्वारा आन्तरिक विकास कार्य करवाये जाये तथा इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये।

6. **इको ट्यूरिज्म पार्क के द्वितीय चरण हेतु संगीत एवं अन्य सुरक्षात्मक अतिरिक्त ढांचागत कार्यो हेतु तकमीना अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति** :– पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि पालिका क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने हेतु किये जा रहे कार्यो के तहत् इको–ट्यूरिज्म पार्क का 50 प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हैं। चूकि मूल डी.पी.आर के बाद श्रीमान् अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा उक्त योजना हेतु उक्त प्रस्ताव अनुसार अतिरिक्त कार्य जैसे पार्किंग स्थल का विकास भव्य स्वागत गेट तथा स्थानीय निवासियो की मांग अनुसार वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु तथा अन्य अतिरिक्त सिविल कार्य के साथ उक्त योजना के तहत् ईको–ट्यूरिज्म पार्क में मनमोहक भावमय संगीत प्रसार तथा आमजन व पर्यटक सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने उक्त स्थान पर पार्किंग की बेहतर व्यवस्था किये जाने तथा आवश्यक मशीनरी उपकरण लगाये जाने का कार्य कराया जाना हैं जिस पर सदन ने उपलब्ध वित्तिय संसाधनो अुनसार आयुक्त नाथद्वारा को उक्त सभी कार्यो हेतु कुल 4 करोड रू की अतिरिक्त योजना के वैकल्पिक मार्ग तथा आधारभूत विकास के द्वितिय फेज एंव प्रगतिरत कार्य के कार्यदेश अनुसार तथा तकनीकी अधिकारियों अनुसार अतिरिक्त कार्य एंव अतिरिक्त आईटम की विभागीय एसओपी के अधीन आवश्यक प्रशासनिक एंव वित्तिय स्वीकृति प्रदान करने हुए समस्त कार्यवाही हेतु श्रीमान् अध्यक्ष महोदय तथा आयुक्त महोदय नगर पालिका नाथद्वारा को सर्वसम्मति से अधिकृत कर श्रेष्ठ स्तर के पार्क निर्माण करने तथा अतिशीघ्र पूर्ण कर जनता को उपलब्ध कराने के साथ ई ओ आई मोड पर संचालन की सहमति प्रदान करते हुए तकमीना अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।

7. **प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं उक्तानुसार कृषि भूमि/69ए प्रकरणों हेतु भूमि शाखा से प्राप्त प्रकरणों पर विचार–विमर्श एवं एम्पावर्ड कमेटी कार्यवाही अनुमोदन** :– पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत् 1700 से अधिक पट्टों का वितरण कर संभाग में नगरीय निकाय में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया हैं। पलिका में वर्तमान में अभियान के तहत कैम्पों को सफलतापूर्वक सपन्न कर लिया गया है आवश्यकता होने पर फोलोअप कैम्प को पालिका में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है साथ पालिका ने सभी आबादी क्षेत्रो का राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार सर्वे करवाया है जो अब तक 5500 से अधिक परिवारों का सर्वे किया

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

जा चुका है साथ ही नागरिकों को प्रशासन शहरों के संग अभियान की छूटो तथा लाभों के बारे में प्रर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है एंव इस बाबत् पालिका को नवीन पत्रावलियों के प्राप्त होने की संभवानाओं में वृद्वि हुई एंव अच्छी संख्या में नागरिक राजस्व रिर्पोट हेतु आवेदन राजस्व विभाग को भी प्रस्तुत किये गये जो अनुज्ञेय प्राप्त होने पर तत्समय निस्तारण किया जायेगा। साथ राज्य सरकार को कृषि से अकृषि अर्थात 90 ए के अधिकारों का स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजन करने हेतु निवेदन किया गयाा है जिससे अभियानों में अधिक से अधिक प्रकरणो का स्थाानीय स्तर पर ही निस्तारण कर आमजन को लाभवान्ति किया जा सकेगा। स्वीकृति प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पर विशेष फोलाअप कैम्पों के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार करने के माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये गये है। इस पर बाद विचार विर्मश सदन ने स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को ही अधिकृत करते हुए समस्त प्रकरणो को स्वीकृति तथा पटटा जारी करने हेतु अधिकृत करते हुए राज्य सरकार से विभिन्न भूमि आवंटन प्रस्तावों यथा ततपदन उपवन के द्वितीय आवंटन एंव आईकोनिक गेट के समपूरक व्यवहार में स्वीस चैलेन्ज के अन्तर्गत स्वीकृत भूमि आवंटन के स्वीकृति प्राप्त होने पर जारी शर्तो अनुसार पटटा जारी करने तथा ियन करानें हेतु श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा तथा श्रीमान् आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी।साथ ही उक्त संबंध में राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के क्रमांक प.8ग/नियम/डीएलबी/2021/68864 जयपुर दिनांक 27.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 के तहत् नगरीय निकायों में गठित एम्पावर्ड कमेटी के कम में नगरपालिका नाथद्वारा की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अभियान के दौरान प्राप्त शक्तियों के क्रम में की गयी विविध कमेटी की बैठक यथा दिनांक 01.10.2021, 08.10.2021, 20.1.2022, 13. 04.2022, 27.04.2022, 19.05.2022, 03.06.2022, 21.07.22, 23.08.22, 12.09.22 एंव अन्य एम्पावर्ड बैठकों में कार्यवाही विवरण अनुसार में लिये गये निर्णयों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही पालिका में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार 1.बागोल बाईपास 2.120फीट थीम पार्क एपोच रोड 3.नाथूवास एंव कोठारिया बाईपास के लिये निर्धारित क्रय मूल्य अनुसार प्रभावित खातेदारो के अनुबन्ध अनुसार क्षतिपूर्ति मूल्य नकद एंव कृषि से अकृषि प्रकरणो में अनुबन्ध अनुसार प्रभावित भूमि अर्जन प्रस्तावों का निपटारा करने के लिये पालिका स्तर पर उपापन समिति को ही निपटान समिति के रूप में अधिकृत मण्डल के अधिकार प्रदत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया उक्त समिति प्रभावित खातेदारों के राशि विरतण तथा पालिका मद में प्राप्त राशि से समायोजन एंव भूमि के बदले भूमि प्रकरणो में कार्यवाही कर अनुमोदन श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा को अन्तिम रूप से वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत कर प्रकरणो का निस्तारण करने में पूर्णताया सक्षम रहेगी इस आश्य का अनुमोदन सदन में अनुमत कर प्रदान किया गया। इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा ने आयुक्त नाथद्वारा से जानकारी चाही कि आज दिनांक तक किन खातेदारों ने अपनी भूमि पालिका के पक्ष में पंजीयन करा दी है इस पर आयुक्त महोदय ने बताया कि वर्तमान में एक प्रकरण पालिका के समक्ष विचारधीन है जो कि राजस्व ग्राम नाथूवास कके आराजी नम्बर 1344/205 एंव अन्य प्रभावित खसरा अनुसार राशि फलन स्तर पर विचारधीन है। जिसमें प्रभावित खातेदार को इस बाबत समायोजन किया जाना है इस पर सदन ने निर्णय लिया गया कि जिन खातेदारों ने उक्त बाईपास अनुसार अपनी भूमि समर्पित करने पंजीयन पालिका के पक्ष में करा दिया गया है यदि उनकी प्रभावित भूमि के बदले उनके कृषि से अकृषि प्रकरणो में राशि समायोजन की स्वृकृति जारी किया जाने की जाती है अन्त में उक्त बिन्दु पर चर्चा को आगे बढाये हुये माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में जारी समस्त नियमों के संबंध में सदस्यों को अवगत कराने हेतु पालिका आयुक्त को निर्देश दिये तथा सदस्यों को कहां की नवीनतम जारी नियमों अनुसार अपने वार्ड क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक दिलावें। इस पर आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा ने भविष्य में समस्त नियमों तथा नवीनतम दिशा निर्देशों से समस्त सदस्यों को संचार माध्यमों के माध्यम से यथासमय अवगत कराने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया ।

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

8. **विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निविदा अनुसार प्राप्त बोली मूल्यों अनुसार टेन्डर प्रीमियम राशि एवं टी.पी.राशि की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति :–** पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि नगरपालिका द्वारा विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं हेतु आमंत्रित निविदाओं में प्राप्त बोली मूल्यों अनुसार टेन्डर प्रीमियम राशि एवं टी.पी.राशि अधिक होने से निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी प्रस्तावित हैः–

S.No.	Name of work	Amount (Rs. In lac)	Remark
1	Construction and Renovation work of cement concrete work at various Places in word no.01 to 20 Nathdwara.	150.00	
3	Construction and Renovation work of cement concrete work at various Places in word no.21 to 40 Nathdwara.	150.00	
2	Construction and Renovation work of B.T Road at various Places in word no.01 to 20 Nathdwara.	150.00	
4	Construction and Renovation work of B.T Road at various Places in word no.21 to 40 Nathdwara.	150.00	
5	Construcation & Renovation work of Cement Concrete roads which are going to be damage and excavated by AVVNL at Various Placess in Ward No. 01 to 40, Nathdwara (Annual Rate Contract)	150.00	
6	Development of green belt and landscaping with beautification work under elevated road Nathdwara as per MOU with NHAI (Phase-I)	85.00	
7	Development of green belt and landscaping with beautification work under elevated road Nathdwara as per MOU with NHAI (Phase-II)	100.00	एकल निविदा
8	Construction of shelter house in Goverdhan hospital Nathdwara	47.20	
9	Construction of Tourism Information cum culture centre at Nathdwara under Swadesh Darshan Yojna	950.06	एकल निविदा एवं डिजाइन, ड्राईग अनुमोदन
10	Construction of Tourism Information cum culture centre at Nathdwara under Swadesh Darshan Yojna	10.51 करोड	Extra item
11	Plantationn, construction of safety wall, green belt,and other work related to Eco-tourism in 65 Bigha Park at 120' road and Desilting if Girdhar sagar pond, construction of guard room, Development of ghats, and other works in 65 Bigha park at 120' road under Yamuna Vikash Yojna.	1030.17	एकल निविदा
12	Beautification of Krishna Circle , Nathdwara	610.62	एकल निविदा
13	टेन्ट/शामियाना स्टेज व जनरेटर एवं कुर्सीयां राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणगौर मेला, दशहरा मेला व लोकार्पण, शिलान्यास व जनसंवाद व अतिविशिष्ठ अतिथि अगामन पर सत्कार कार्यकम (निविदा संख्या 24)	25.00	अतिरिक्त व्यय
14	मेले, उत्सव, त्यौहार पर लाइट व फ्लावर, बैलून डेकोरेशन कार्य	8.00	अतिरिक्त व्यय
15	मेले, उत्सव, जन संवाद कार्यक्रम में अल्पाहार व भोजन मय केटरिंग व्यवस्था कार्य	9.95	अतिरिक्त व्यय
16	टेन्ट/शामियाना स्टेज व जनरेटर एवं कुर्सीयां राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणगौर मेला, दशहरा मेला व लोकार्पण, शिलान्यास व जनसंवाद व अतिविशिष्ठ अतिथि अगामन पर सत्कार कार्यकम (निविदा संख्या 41)	25.00	अतिरिक्त व्यय
17	प्रिन्टेड स्टेशनरी फ्लेक्स बैनर सप्लाई कार्य	8.50	अतिरिक्त व्यय

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

S.No.	Name of work	Amount	NIT No.
1	Construction of rest house for pensioner Samaj in Municipal Board nathdwar .	27.75	NIT 02
2	Urban forestation in Municipal Board Nathdwara	130-00	NIT 05
3	Plantationn, construction of safety wall, green belt,and other work related to Eco-tourism in 65 Bigha Park at 120' road and Desilting if Girdhar sagar pond, construction of guard room, Development of ghats, and other works in 65 Bigha park at 120' road under Yamuna Vikash Yojna.	1030-17	NIT 07
4	नगरपालिका नाथद्वारा क्षेत्र में वार्ड संख्या 1 से 40 तक नवीन पनघटों की स्थापना एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्याउ की स्थापना एवं मरम्मत व आवश्यक सामग्री क्रय एवं फिक्सींग कार्य (वार्षिक दर निविदा)	30-00	NIT 08
5	Providing Labor and Manpower for work in office of Nagar Palika Nathdwara on Yearly Rate Contract Basis Work	25-00	NIT 09
6	Providing Technical Manpower in Nagar Palika Nathdwara on Yearly Rate Contract Basis Work	25-00	NIT 09
7	Beautification of Krishna Circle , Nathdwara	610-62	NIT 11
8	Construction of Tourism Information cum culture centre at Nathdwara under Swadesh Darshan Yojna	950-06	NIT 12
9	Supply and fixing of gym equipment at different places, Municipal Board Nathdwara.	29-65	NIT 15
10	Art Painting work under elevated bridge and other places, Nathdwara under SBM.	25-00	NIT 15
11	Development of green belt and landscaping with beautification work under elevated road, Nathdwara as per MOU with NHAI phase –III.	34-15	NIT 15
12	Providing Labor and Manpower for work in office of Nagar Palika Nathdwara on Yearly Rate Contract Basis Work	25-00	NIT 17
13	Providing Technical Manpower in Nagar Palika Nathdwara on Yearly Rate Contract Basis Work	25-00	NIT 17
14	Construction of Tourism Information cum culture centre at Nathdwara under Swadesh Darshan Yojna	950-06	NIT 20
15	Construcation & Renovation work of Cement Concrete work at Various Placess in W.No. 01 to 40, Nathdwara (Annual Rate Contract)	150-00	NIT 24
16	Construction and renovation work of Bitumen road at Various Placess in W.No. 01 to 40, Nathdwara(Annual Rate Contract)	150-00	NIT 25
17	Supply and fixing of gym equipment at different places, Municipal Board Nathdwara.	29-65	NIT 26
18	Development of green belt and landscaping with beautification work under elevated road, Nathdwara as per MOU with NHAI phase –III.	34-15	NIT 27
19	Cable laying work at various locations in Municipal area, Nathdwara.	20-00	NIT 33
20	Painting work at under bridge area and various places, Nathdwara.	49-71	NIT 35
21-	Construction amd renovation work of bitumen road from Shreenath sadan to gourav path.	95-24	NIT-

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

सदन ने उक्तानुसार समस्त कार्यो हेतु कार्योतर एंव सक्षम प्रशासनिक एंव वितिय स्वीकृति पालिका मद/अन्य प्रावधानों अनुसार प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् अध्यक्ष/ आयुक्त नगर पालिका को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया ।

9. **<u>ईको–ट्रीज्म पार्क अथवा थीम पार्क बाईपास हेतु निदेशालय के आदेश कमांक प.6च लेखा/डीएलबी/आईडीएसएमटी/पीलीबंगा/2016/2046–2050 दिनांक 09.09.2016 अनुसार अधिशेष कोष को उक्त नवीन योजना के वित्त पोषण हेतु नियोजित करने हेतु स्वीकृति तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के साथ निदेशालय से प्राप्त धारा 69 अनुसार प्रभावित खातेदारों के कय मूल्य समिति के निर्णय अनुसार नकद क्षतिपूर्ति एवं भूमि के बदले भूमि क्षतिपूर्ति प्रकरणों की सक्षम स्वीकृति</u>** :– पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि पूर्व में आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत पालिका को आईडीएसएमटी योजना के तहत् प्रस्तावित कार्यो के लिए राशि प्राप्त हुई थी वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा योजना के तहत् अवशेष राशि को उसके समान प्रकृति की योजना में आधारभूत कार्यों में व्यय किये जाने हेतु निर्देश प्रासंगिक पत्र से जारी किये गये हैं। उक्त कम में पालिका द्वारा ईको–ट्रीज्म पार्क के पास आवागमन की सुगम व्यवस्था हेतु 18 मीटर चौडी 750 मीटर लम्बी सड़क का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं जिसके लिए उक्त योजना मद की राशि समान प्रवृति की होने से ईको–ट्रीज्म पार्क के पास सड़क निर्माण हेतु उक्त आदेश अनुसार अवशेष राशि के अनुसार व्यय की जाने का निर्णय लिया जाना हैं। सदस्य श्री प्रमोद गुर्जर द्वारा उक्त नाथूवास पाल की ओर सडक की मरम्मत व सडक बनाने की मांग की जिस पर पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया की उक्त हेतु पृथक से प्रस्ताव नियमानुसार किया जायेगा। परन्तु चूंकि उक्त सन्दर्भ प्राप्त निर्देश स्पष्ट हैं। अतः उक्त योजना मद की राशि उक्त कार्य पर व्यय किया जाना नियमानुसार संभव नहीं हैं। बाद विचार सदस्यों द्वारा उक्त कार्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने की सक्षम स्वीकृति एंव अनुमोदन करते हुए उक्त आदेश अनुसार अवशेष राशि को 120 फीट एप्रेच रोड पर व्यय करने सर्वसम्मति से प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति जारी कर निदेशालय स्थानीय निकाय से सक्षम स्तर से स्वीकृत तकनीकी स्वीकृति अनुसार निविदा आमंत्रित करने को निर्णय लिया गया तथा उक्त कार्य समय पर पूर्ण करवाने के निर्देश जारी किये गये। इस सन्दर्भ में चर्चा में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा ने उक्त रोड के निर्माण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत आपसी सहमति से भूमि अर्जन प्रस्ताव के राज्य सरकार के स्वीकृति अनुसार भूमि उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें प्रभावित खातेदारों के प्रभावित भूमि के क्षतिपूर्ति कय समिति के कय मूल्य के आधार पर की जानी है जिसमें नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत कुछ खातेदारों का प्रभावित भूमि के बदले पालिका स्वामित्व की अन्य स्थान पर भूमि आवटन अथवा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 सपठित धारा 71,72,73 के अनुसार तथा नगरीय विकास विभाग एंव स्वायत शासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी नवीनतम परिपत्रों अधिसूचनाओं अनुसार परीक्षण कराते हुए समक्ष स्तर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है जिस पर सदन ने गहन विचार विमर्श पश्चात प्रकरणो को परीक्षण उपरान्त राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान् अध्यक्ष तथा आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

10. **विशेष भवन निर्माण उपनियम 2022 नगर पालिका नाथद्वारा का प्रारूप प्रस्ताव राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 एवं 340 अनुसार समस्त संशोधनों का समाहित करते हुए अन्तिम प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने पर विचार–विमर्श :–** पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि लिपिकिय त्रुटि से भवन विनियम 2022 के स्थान पर 2015 मुद्रित हो गया हैं जबकि पालिका द्वारा नाथद्वारा भवन विनियम 2022 के प्रावधान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 व 340 के अनुसार आवश्यक संशोधन कर नवीन संशोधित भवन विनियम 2022 हेतु ड्राफ्ट तैयार कर उक्त के संबंध में आपत्ती आमंत्रण कर आवश्यक संशोधन कर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर नगरपालिका नाथद्वारा के भवन विनियम 2022 (संशोधन) जारी किया जाना प्रस्तावित हैं सदस्य श्री परेश सोनी द्वारा उक्त संशोधनों में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया चाहा जिस पर पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगरपालिका नाथद्वारा में अधिकांश आवासीय व्यवसायिक सम्पत्तियां मंदिर तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में स्थित है जहां पुरानी बसावट हैं जिसके कारण प्रचलित भवन विनियम के तहत् आमजन को वांछित निर्माण स्वीकृतियां मांग एंव आवश्यकतानुसार दिये जाने में परेशानियां आती हैं। इस पर चर्चा के दौरान माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को बतायागया कि पालिका क्षेत्र में अधिकांश सम्पत्तियां मंदिर मण्डल तथा उसके आस–पास पूर्व में निवास कर रहे व्यक्तियों की हैं वर्तमान में मंदिर क्षेत्र के आस–पास सडकों की चौडाई बढाने के साथ–साथ नवीन निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें नियम संगत वांछित निर्माण स्वीकृतियां जारी हो सकें उसके लिए नियमों आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। जिसमें अधिक उंचाई या बहुमंजिला भवन के निर्माणों के समय भूतल पर पार्किंग की आवश्यक व्यवस्था के साथ जारी हो सकें के संबंध में नियमों एंव उपनियमों में कडे प्रावधान करना चाहिए तथा प्रस्तावित भवन निर्माण उपनियमों में इस बाबत प्रावधान आवश्यक रूप से समाहित करने ही है तथा इसी कम में उन्होने आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को इस नवीन भवन उपनियमों के आवश्यकता तथा प्रस्तावित उपनियमें के प्रारूप के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालने हेतु निर्देशित किये जाने पर आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा ने इस बाबत् सदन को अवगत कराते हुए जानकारी दी कि राजस्थान में एकीकृत रूप से सभी निकायों हेतु मॉडल बिलडिग बॉयलाज राज्य सरकार ने जारी किये थे जो समान रूप से सभी निकायों में लागू है केवल माउन्ट आबू जैसलमेर आदि कुछ निकायों में वहा कि विशेष भौगोलिक परिस्थिति अनुसार विशेष भवन निर्माण उपनियम तैयार कर प्रभावी किये गये है चूकि नाथद्वारा भी राजस्थान में एक विशेष श्रेणी का शहर है तथा वैष्णव समप्रदाय की प्रधान पीठ होने से तथा पर्यटन के मानचित्र पर एक विशेष छाप लिये हुये होने के कारण एवं भोगोलिक बसावट मन्दिर एंव मन्दिर के आस पास विशेष स्थितियो युक्त गलियो तथा रोड नेटवर्क होने से यहा मॉडल बिल्डिग बायलाज अनुसार भवन निर्माण हेतु विशेष प्रावधान समय की महती आवश्यकता है जिस पर तत्समय ही योजना बना कर विशेष बायलाज बनाये जाने चाहिए थे परन्तु अब माननीय विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार नागरिको एंव पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाए एंव आवास की जरूरते एंव समावेशी विकास के दृष्टिगत तुरन्त प्रभाव से राज्य तथा भारत के धार्मिक नगरों के भवन निर्माण उपनियमों का अध्ययन एंव परीक्षण उपरान्त एक बेहतर भवन निर्माण उपनियमों का प्रारूप तैयार किया जाकर सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है जो कि बाद आप्पति एंव सुझावों के बाद सक्षम स्तर से परीक्षण उपरान्त राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 सपठित 340 के प्रदत मण्डल के अधिकारों अनुसार स्वीकृत कर राज्य सरकार को वास्ते अनुमोदनार्थ एंव राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाना है। इस पर सदस्यों ने इस प्रारूप पर विस्तृत रूप सं सभी नवीन प्रावधानों पर जानकारी हेतु सभी सदस्यों को इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग पर आयुक्त नगर पालिका ने निर्धारित समय में समाचार पत्र पालिका की अधिकृत बेबसाइट एंव एक प्रति साभी सम्मानीय सदस्यों को उपलब्ध कराने हेतु आशवस्त किया। । सदस्य श्री

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

परेश सोनी द्वारा कहा गया कि उक्त ड्राफ्ट में बडौदा बैंक से कुम्हारवाडा होते हुए बस स्टेण्ड तक के क्षेत्र को भी शामिल किये जाने का सुझाव रखा। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा भवन विनिमय संशोधन हेतु आवश्यक जानकारी सदस्यों को अवगत कराते हुए सदस्यों के विचार को नियमानुसार समावेश करते हुए भवन विनिमय नियम 2022 (संशोधन) को राज्य सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्देश दिये। बाद विचार सदस्यों द्वारा उक्त चर्चा के अन्त में सभी उपस्थित सदस्यों एवं सदन ने पूर्ण स्वीकृति से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर नवीन **विशेष भवन निर्माण उपनियम 2022 नगर पालिका नाथद्वारा का प्रारूप प्रस्ताव राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 एवं 340 अनुसार समस्त संशोधनों का समाहित करते हुए अन्तिम प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया एंव सक्षम स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् अध्यक्ष नगर पालिका एंव आयुक्त नगर पालिका को अधिकृत किया गया।**

11. **कृष्णा सर्किल गणेश टेकरी नाथद्वारा को न्यूयॉर्क मिडटाउन मैनहैटन के टाईम्स स्क्वायर क्षेत्र की तर्ज पर मनोरंजन एवं पर्यटन को बढावा देने हेतु ई.पी.सी. मोड में प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए सामान्य मद से उक्त क्षेत्र को विकसित करने हेतु डी.पी.आर/तकमीना अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार–विमर्श साथ ही उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव अनुसार सक्षम एवं विशेषज्ञ क्षेत्र से बोलियों हेतु ई.ओ.आई आमंत्रित करने का अनुमोदन** :– पालिका आयुक्त द्वारा सदस्यों को बताया गया कि 120 फिट रोड त्रिवेणी सर्कल से लेकर कृष्णा सर्कल गणेश टेकरी तक कृष्णा सर्किट योजना के तहत् विविध विकास कार्य कराये गये हैं वर्तमान में यहां पर विशाल शिव मूर्ति स्थापना के पश्चात् नाथद्वारा क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों तथा वैष्णवजनों हेतु व्यापक पर्यटन व दर्शनीय स्थल बनाये जाने की संभावनाएं हैं। उक्त संबंध में न्यूयॉर्क मिडटाउन मैनहैटन के टाईम्स स्क्वायर क्षेत्र की तर्ज पर कार्य कराये जा सकते हैं जिससे पालिका क्षेत्र में पर्यटन को बढावा मिलें। जिस पर बाद विचार सभी सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी एंव उक्त कार्य प्रस्तावो को ई.ओ.आई आमन्त्रित कर विकसित किये जाने हेतु श्रीमान् अध्यक्ष एंव आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्त में सदस्य श्री पूरण श्रीमाली द्वारा पालिका क्षेत्र में मांस मंदिरा की दुकान को बंद किये जाने हेतु प्रस्ताव पास किये जाने की मांग की जिस पर पालिका अध्यक्ष द्वारा आगामी बैठक में उक्त प्रस्ताव को एजेण्डे के रूप में शामिल कर चर्चा किये जाने हेतु आश्वस्त किया। सदस्या श्रीमती यमुना पालीवाल द्वारा उनके वार्ड में स्पीड ब्रेकर लगाने तथा सदस्या श्रीमती मनोरमा ढाबी द्वारा मौत की घाटी पर संकेतक लगाये जाने की मांग की जिस पर पालिका अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्यों को आश्वस्त किया।

तत्पश्चात् मण्डल बैठक सधन्यवाद समाप्त की घोषणा अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई।

(मनीष राठी)
अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

(कौशल कुमार खटूंमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

कमांक/न.पा.नाथ./म.बै./22/17372-17379 दिनांक :– 09.11.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. माननीय डॉ0 सी0पी0 जोशी साहब, विधाससभा अध्यक्ष एवं क्षैत्रीय विधायक महोदय, नाथद्वारा।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
3. श्रीमान् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा।

C:\Users\LENOVO\Desktop\board meeting proceeding 04 Nov 2022.docx

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

4. श्रीमान् उप निदेशक महोदय (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य निष्पादन अधिकारी महोदय, मंदिर मण्डल नाथद्वारा।
6. श्री/श्रीमती पार्षद .... वार्ड न0 ....नगरपालिका नाथद्वारा।
7. सम्बन्धित शाखा प्रभारी वास्ते पालनार्थ।
8. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner